क्रमांक 7304-2 जी0एस0-II-76/26513

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला एवं हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 30 सितम्बर, 1976 ।

विषय : भूतपूर्व सैनिकों को सिविल पदो पर नियुक्ति के लिए रियायतें ।

महोदय,

मुझे निदेश हुए हैं कि उपरोक्त विषय पर आपको सम्बोधित करूं और कहूं कि सरकार के ध्यान में आया है कि भूतपूर्व सैनिकों को सिविल पदों पर नियुक्ति उचित मात्रा में नहीं हो रही है । इस कमी को पूरा करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है और विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को दी जा रही रियायत को निम्नलिखित हद तक (Liberalise) कर दिया जाये ताकि निर्धारित संख्या तक भूतपूर्व सैनिक उन पदो पर नियुक्त किये जा सकें जिन के लिये न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है :—

(1) राज्य में श्रेणी III के कई पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक निर्धारित की गई है जिन भूतपूर्व सैनिकों ने आर्मी सर्टिफिकेट क्लास 1 प्राप्त किया हो, उनकी योग्यता आठवीं कक्षा के बराबर गिनी जाती है । अब यह निर्णय लिया गया है कि जिन भूतपूर्व सैनिकों ने सेना में 15 व सेवा की हो और आर्मी सर्टिफिकेट क्लास 1 प्राप्त किया हो, उनकी योग्यता मैट्रिक के बराबर समझ जाये।

(2) हरियाणा राज्य में सभी पदों के लिए हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है, परन्तु यह देखने में आर है कि प्रायः भूतपूर्व सैनिकों को हिन्दी का ज्ञान नहीं होता । इस लिये अब यह निर्णय लिया गर है कि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय हिन्दी के ज्ञान पर जोर न दिया जाए और भूतपूर्व सैनिकों नियुक्ति पत्र में यह शर्त लगा दी जाये कि उन्हें एक वर्ष के अन्दर हिन्दी का टैस्ट पास करना जरूरी होगा और यदि वे यह टैस्ट पास न कर सकें तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी ।

(3) हरियाणा सरकार के परिपत्र क्र0 4310-4 जी0एस0-II-72/26822, दिनांक 11/14-9-72 अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे लिपिक के पद पर नियुक्ति के बाद 6 मा की अवधि के अन्दर टाईप सीख लें । अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 6 महीने के अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया जाए और शेष नीति यथापूर्व रहे । यह हिदायतें सभी अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में ला दी जाए ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते/0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति सभी वित्तायुक्त/सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही